न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 793/2023

अनवान : –

1. लालचन्द पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. आदुराम पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
3. लिछमण पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
4. रामसिंह पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
5. सन्तो उर्फ शान्ति पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर–फौत
6. चन्द्रवती पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
7. मीरा पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
8. कल्लो पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
9. गुरूदत पुत्र स्व0 सुखमा पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
10. श्योप्रकाश पुत्र स्व0 सुखमा पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
11. कृष्णलाल पुत्र स्व0 सन्तो उर्फ शान्ति पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 05/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 134/128 की कुल 7.9040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 265/224 की कुल 17.0220 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी की माता है समा पत्नी नरसीराम का देहान्त हो चुका है तथा समा पत्नी नरसीराम की दो पुत्रीया भी फौत हो चुकी है जिनने वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है। समा पत्नी नरसीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 11 है जो समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 जो की वादी एवं प्र[illegible] 4 की बहिन है एवं प्रतिवादीण संख्या 9 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी[illegible] के पुत्र व पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेन[illegible] भी हक हिस्सा है [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है [illegible]द हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद ड़िक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य शम्मा पत्नी नरसीराम, मृत्यु प्रमाण पत्र सुखमा देवी, शान्ति व समा आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी की माता है समा पत्नी नरसीराम का देहान्त हो चुका है तथा समा पत्नी नरसीराम की दो पुत्रीया भी फौत हो चुकी है जिनने वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है। समा पत्नी नरसीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 11 है जो समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 जो की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिन है एवं प्रतिवादीण संख्या 9 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिन के पुत्र व पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद ड़िक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:10 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की [illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के [illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखमालिया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तहसील नोहर के खाता संख्या 134/128 की कुल 7.9040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 265/224 की कुल 17.0220 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी की माता है समा पत्नी नरसीराम का देहान्त हो चुका है तथा समा पत्नी नरसीराम की दो पुत्रीया भी फौत हो चुकी है जिनने वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है। समा पत्नी नरसीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 11 है जो समा पत्नी नरसीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 जो की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिन है एवं प्रतिवादीण संख्या 9 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिन के पुत्र व पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 134/128 की कुल 7.9040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 265/224 की कुल 17.0220 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि समा पत्नी नरसीराम उर्फ नरसा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा समा पत्नी नरसा, समा पत्नी नरसीराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 793/2023
अनवान : –

1. लालचन्द पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर

– वादी

बनाम्

1. आदुराम पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
3. लिछमण पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
4. रामसिंह पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
5. सन्तो उर्फ शान्ति पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर–फौत
6. चन्द्रवती पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
7. मीरा पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
8. कल्लो पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
9. गुरूदत पुत्र स्व0 सुखमा पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
10. श्योप्रकाश पुत्र स्व0 सुखमा पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
11. कृष्णलाल पुत्र स्व0 सन्तो उर्फ शान्ति पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 793 सन 2023 निर्णय दिनांक – 05/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 134/128 की कुल 7.9040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 265/224 की कुल 17.0220 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि समा पत्नी नरसीराम उर्फ नरसा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा समा पत्नी नरसा, समा पत्नी नरसीराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:10 IST
Reason: SelfAttested